प्रतिलिपि आदेश दि० 28/3/2022 बमु० परमेश्वरी देवी सेवा संस्था 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक श्री· सत्यम शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद सं० 48/2021-202 अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम उ०प्र० रा० सं० 2006 ग्राम धूरे परगना सोती तहसील लालगंज जनपद रायबरेली न्यायालय उपजिलाधिकारी लालगंज जनपद रायबरेली

नोट- आदेश दि० 8/3/2022 की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्नक 04 वर्क

फीस 04 = 135.00

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :रायबरेली,तहसील :लाल गंज
वाद संख्या :-746/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210580400746
परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार.
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

C.N-48/2021-2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला निवासी निवासी सरेनी, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली द्वारा राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत प्रारम्भ हुई, जिसके अन्तर्गत भूमि स्थित ग्राम धूरेमऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली की खतौनी सन 1425–1430 के खाता संख्या 00012 प्रार्थी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जिसमें गाटा संख्या 931/1 में प्रार्थी का हिस्सा 1.063हे0 है, जिसे उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त आवेदन पत्र की जांच तहसीलदार लालगंज से कराई गई। तहसीलदार लालगंज की जांच आख्या दिनांक 21.03.2022 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम धूरेमउऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली की वर्तमान खाता संख्या 00012 पर गाटा संख्या 931/1/1.063हे0 भूमि प्रार्थी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर परमेश्वरी देवी त्रिवेदी प्रसाद शुक्ल महाविद्यालय सरेनी, रायबरेली का भवन व सहन बना हुआ है। इस प्रकार उक्त गाटे के 1.063हे0 भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है तथा भूमि अकृषिक है तथा आवासीय रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। तहसीलदार लालगंज द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 यथा संशोधित की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 21.03.2022 के साथ उद्धरण खतौनी सन 1425–1430 फसली की खाता संख्या 00012, फोटोग्राफ आदि का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया है। अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी की भूमि स्थित ग्राम दतौली लालगंज अं0टा0ए0, परगना डलमऊ, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली के खाता संख्या 00012 गाटा संख्या 931/1 क्षेत्रफल 1.063हे0 पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में काबिज है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर परमेश्वरी देवी त्रिवेदी प्रसाद शुक्ल महाविद्यालय सरेनी, रायबरेली का भवन व सहन बना हुआ है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत सार्वजनिक

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :रायबरेली,तहसील :लाल गंज
वाद संख्या :-746/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202210580400746
रमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

उपयोग की भूमि नहीं है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि खाता संख्या 00012 गाटा संख्या 931/1/1.063हे0 का जिलाधिकारी रायबरेली महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर नियमानुसार मु0 24500/— का न्याय शुल्क स्टाम्प व मु0 24500/— रूपये का चालान उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में उल्लिखित मद में जमा किया गया हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 21.03.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ग्राम धूरेमऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली के खाता संख्या 00012 गाटा संख्या 931/1 क्षेत्रफल 1.063हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम धूरेमऊ, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली की खाता संख्या 00012 की गाटा संख्या 931/1 क्षेत्रफल 1.063हे0, जो प्रार्थी परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक श्री सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला निवासी निवासी सरेनी, परगना सरेनी, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(1) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 21.03.2022 आदेश का अंग रहेगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर शासकीय स्थानो यथा विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद या अन्य किसी विभाग द्वारा कोई प्रतिबन्ध प्रश्नगत भूमि पर लगाया जाता है, तो वह उक्त भूमि पर पूर्णतः लागू होंगे। तदनुसार प्रख्यापन निर्गत हो। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक 28/3/22

(विजय कुमार)
उपजिलाधिकारी
लालगंज, रायबरेली

251
31/3/2022
31/3/2022
31/3/2022
1
760 शब्द
13-00 रु

राजस्व संहिता 2016 - 80(1)

उ0प्र0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 की धारा ~~143~~ की घोषणा के सम्बन्ध में

नियम 135 की आख्या का प्रारूप

तहसील लालगंज जनपद रायबरेली।

छाया प्रति

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम पिता का नाम / निवास स्थान	खाता खतौनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मालगुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल (क) गाटा संख्या	(ख) क्षेत्रफल	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता हो।	विशेष विवरण
01	02	03	04	05	06	07	08	09
धूरेमऊ	परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश नि० सरेनी	0012	1.063	27.99	931/1	1.063 मा.गु. 27.99	महोदय, ग्राम खतौनी धूरेमऊ परगना सरेनी तह० लालगंज जिला रायबरेली के खाता सं. 12 पर परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387/चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश व सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला नि० सरेनी के नाम 931/1 रकबा 3.091 मा.गु. 110.40 सं.भू. तन्हा दर्ज है। इस गाटा सं. 931/1 के रकबा 1.063 मा.गु. 27.99 बटवारा परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387/चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक सत्यम शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला नि० सरेनी के नाम बतौर बैनामा गाटा सं. 931/1 रकबा 1.063 मा.गु. 27.99 सहखातेदार दर्ज है। इस भूमि 931/1 / 1.063 पर परमेश्वरी देवी सेवा संस्थान 387 चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद पर परमेश्वरी देवी त्रिवेदी प्रसाद शुक्ल महाविद्यालय सरेनी रायबरेली का भवन, कहत बना हुआ है तथा भूमि खेती नहीं की जाती है अकृषिक है। अतः ग्राम धूरेमऊ परगना सरेनी तह० लालगंज रायबरेली के खाता सं. 12 गाटा सं. 931/1 रकबा 1.063 मा.गु. 27.99 राजस्व संहिता 2016 की धारा 80(1) के तहत अकृषिक घोषित किए जाने की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित / जिलाधिकारी कार्यालय सर्किल रेट कृषि दर 23 लाख प्रति हे० की दर से मूल्यांकन 2444900/- का 1% दर से स्टाम्प 24500/- रु० अदा किए जाने की रिपोर्ट सादर उचित सेवा में प्रेषित। (हस्ताक्षर) (ले०) 6/3/2022	

C.N. 48/2021-2022

(हस्ताक्षर) 23/3/22 SDM